By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-1

Topic – Constitutional Amendment in British Constitution

Class – B.A. Degree – II (Sub.) Unit-8

Subject – Political Science

Date – 28 May, 2020

By Rahul Kumar Jha.

ब्रिटिश संविधान में संवैधानिक संशोधन :-
(Constitutional Amendment in British Constitution)

ब्रिटेन का संविधान समस्त लचीले संविधानों में अत्यंत लचीला संविधान है। अंशतः अलिखित होने से और उनके व्यावहारिक रूप में प्रथाओं तथा परंपराओं का बड़ा ~~महत्व~~ महत्त्व रहने के कारण अंगरेजी शासन-विधान लचीला है। वैसे तो सभी एकात्मक शासन-विधान लचीले होते हैं, अर्थात साधारण कानून की तरह इनमें परिवर्तन और संशोधन हो जाता है; परन्तु इंग्लैंड का शासन-विधान जो मूलतः एकात्मक है, विश्व के वर्तमान शासन-संविधानों में सर्वाधिक लचीला है। यह लचीलापन इस बात में नहीं है कि यह साधारण प्रणाली के द्वारा बदला जा सकता है,

वरन यह लचीलापन बदली हुई परिस्थितियों में उसकी अनुकूलता में भी है।

इंग्लैंड में संसद जिस प्रक्रिया द्वारा सड़क पर चलने के नियमों या मद्यनिषेध्य नियमों में परिवर्तन करती है, ठीक उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों में भी परिवर्तन कर सकती है। संसद की विधायी प्रभुता इतनी व्यापक है कि वह एक ही प्रणाली से किसी भी विधि को निर्वैध्य बना सकती है, चाहे उसका संबंध सड़क के कार की चौकी से या किसी अंग्रेजी उपनिवेश की स्वतंत्रता से ही क्यों न हो। संविधान में परिवर्तन करने के लिए विशेष पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 1936 ई० का राज्य-त्याग अधिनियम था, जो उपस्थापित होने के आधे घंटे के भीतर ही पास हो गया और संसद ने आठवें एडवर्ड के राजत्याग को वैध बनाकर दूसरे राजा को राजमुकुट पहना दिया।

किसी अन्य देश में ऐसा परिवर्तन करने के लिए एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता हो जाती, पर इंग्लैंड के राजनीतिक सागर पर इससे एक लहर तक न उठी। ब्रिटिश संसद द्वारा किए

यह संशोधनों को इंगलैंड का सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। मैरियट के अनुसार, 'अँगरेजी संविधान का लचीलापन इसकिए और भी अधिक है कि औपचारिक संशोधनों के बिना भी उनमें संशोधन हो सकता है।' संविधान में जो संशोधन परंपराओं के परिवर्तनों द्वारा होते हैं, वे ऐसे ही संशोधन होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी औपचारिक कानून-संबंधी संशोधन के बिना ही शासन का संवैधानिक ढाँचा बदल जाता है।

आज भी ब्रिटेन के लचीले संविधान को वांछनीय समझा जाता है क्योंकि इसके बहुत लाभ हैं जैसे— यह राजनीतिक प्रगति के अनुकूल है, इसमें स्थिरता की कम संभावना रहती है और ऐसे संविधान संकटकाल के लिए उपयुक्त रहते हैं।

इस प्रकार, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि, चूँकि ब्रिटेनवासी परंपराप्रिय हैं, इसलिए संविधान में आकस्मिक और अनिवार्य संशोधन अन्य देशों की तरह संविधानों की तरह नहीं के पाए हैं। यदि हम यह कहें कि ब्रिटिश संविधान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढालने की क्षमता रखता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।